पंजीकृत

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा)उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री अर्थ–1 अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
फिरोजाबाद।

पत्रांक डिग्री अर्थ–1/ /2011–12 दिनांक 17-6-2011

विषयः– आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद की प्रबन्ध समिति के विवादित व अस्तित्व में न होने के कारण महाविद्यालय के बिजली एवं टेलीफोन मात्र के बकाये बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्रांक डिग्री अर्थ–1/6984/10–11 दिनांक 29–09–2010 द्वारा महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के विधिवत गठित एवं अनुमोदित होने की तिथि तक के लिए महाविद्यालय के वेतन संदाय खाते को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 60 (घ) में निहित व्यवस्था के तहत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मात्र वेतन भुगतान हेतु एकल संचालन के माध्यम से किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी, अब प्राचार्य द्वारा अपने पत्र संख्या'–572/2010–11 दिनांक 13–04–2011 एवं 30–05–2011 के माध्यम से सूचित किया गया है कि महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के विवादित व अस्तित्व में न होने के कारण महाविद्यालय की वित्तीय/प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं समस्त खातों के संचालन में कठिनाई हो रही है तथा महाविद्यालय में बिजली एवं टेलीफोन के बिलों का भुगतान लम्बित है।

वर्णित परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा ने अपने पत्र संख्या–क्षे0का0आ0/1384–85/2011–12 दिनांक 31–05–2011 द्वारा प्रबन्ध समिति के विवादित होने के कारण प्रबन्ध समिति के विधिवत गठित एवं अनुमोदित होने की तिथि तक अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की व्यवस्था किये जाने तक महाविद्यालय की वित्तीय/प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं समस्त खातों के संचालन हेतु प्राचार्य को अधिकृत किये जाने की सूचना दी गयी है।

इस सम्बन्ध में महाविद्यालय प्राचार्य/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के विधिवत गठित एवं अनुमोदित होने की तिथि तक के लिए अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की व्यवस्था किये जाने तक पूर्व में निर्गत एकल संचालन सम्बन्धी आदेश को प्रभावी रखते हुए उक्त के अतिरिक्त मात्र प्रासपेक्टस खाते से महाविद्यालय के बिजली एवं टेलीफोन मात्र के बकाये बिलों को जमा कराये जाने हेतु प्राचार्य एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से उक्त के संचालन की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय

डॉ0(रमानन्द प्रसाद)
शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पृ0सं0 डिग्री अर्थ–1/ 2165-67 /2011–12 उसी तिथि को।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्राचार्य, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा।

डॉ0(रमानन्द प्रसाद)
शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा)
उ0प्र0, इलाहाबाद।